**संख्या- 42/2015/552/41-2015-55 यो0/15**

प्रेषक,

डा0 शशांक विक्रम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 मार्च,2015

**विषय- उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों के उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2094/6-1-1(यो0)(516)/2014-15 दिनांक 03-03-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों में पूंजी निवेश हेतु पर्यटक आवास गृह बिठूर के उच्चीकरण हेतु रू0 78.90 लाख, पर्यटक आवास गृह बरेली के उच्चीकरण हेतु रू0 47.50 लाख, पर्यटक आवास गृह मुरादाबाद के उच्चीकरण हेतु रू0 67.45 लाख, पर्यटक आवास गृह बलरामुपर के उच्चीकरण हेतु रू0 64.20 लाख तथा पर्यटक आवास गृह श्रावस्ती के उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 51.45 लाख अर्थात कुल रू0 309.50 लाख (रू0 तीन करोड नौ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

1. पर्यटक आवास गृहों के उच्चीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि के समतुल्य अंशकों का क्रय कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा ।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्य प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व कार्यदायी संस्था के नामांकन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि की प्रत्याशा में कोई अनधिकृत व्यय नही किया जायेगा।
6. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष्य उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशको का क्रय-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव।

**<u>संख्या-42/2015/552(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय/पर्यटन निगम, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in